


न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली

- नोटिस -

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 05/ पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 एवं 07/ पी.आई./2021 दिनांक 02.05.2021 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में इस न्यायालय में लम्बित फौजदारी एवं दीवानी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी-

<u>पूर्व में नियत तिथि</u>	<u>फौजदारी प्रकरणों में आगामी तिथि</u>	<u>दीवानी प्रकरणों में आगामी तिथि</u>
04.05.21	02.06.21	05.07.21
05.05.21	03.06.21	06.07.21
06.05.21	04.06.21	07.07.21
07.05.21	05.06.21	08.07.21
10.05.21	07.06.21	09.07.21
11.05.21	08.06.21	12.07.21
12.05.21	09.06.21	13.07.21
13.05.21	10.06.21	14.07.21
15.05.21	11.06.21	15.07.21
17.05.21	14.06.21	16.07.21

सभी पक्षकारान एवं अधिवक्तागण सूचित रहे ।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली